छत्तीसगढ़ विधान सभा

पंचम

फरवरी-मार्च, 2021 सत्र

वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिये अनुदानों की मांगों

पर

कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या – 24, 67, 76, 3, 4, 5, 51, 37
मांग संख्या – 22, 69, 81, 18 से संबंधित

भाग - एक

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्र.	मा. मंत्री का नाम	मांग संख्या	विवरण	निर्धारित समय
1.	**श्री ताम्रध्वज साहू**	24	लोक निर्माण कार्य – सड़कें और पुल	**3 घंटे**
		67	लोक निर्माण कार्य – भवन	
		76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
		3	पुलिस	
		4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	
		5	जेल	
		51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	
		37	पर्यटन	
2.	**डॉ. शिवकुमार डहरिया**	22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय निकाय	**3 घंटे**
		69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय कल्याण	
		81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	
		18	श्रम	

इस संकलन में छत्तीसगढ़ विधान सभा के फरवरी–मार्च, 2021 सत्र में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2021–2022 के आय–व्ययक के संबंध में उपर्युक्त मांग संख्याओं से संबंधित माननीय सदस्यों से प्राप्त कटौती प्रस्तावों की ग्राह्य सूचनाओं को सम्मिलित किया गया है, कटौती प्रस्तावों में आंशिक रूप में कुछ आवश्यक सुधार किये गये है।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिये अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव भाग – एक में सम्मिलित मांग संख्याओं पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :–

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष
2. डॉ. रमन सिंह, सदस्य
3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य
4. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य
5. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य
6. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य
7. श्री नारायण चंदेल, सदस्य
8. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य
9. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य
10. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य
11. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य
12. श्री सौरभ सिंह, सदस्य
13. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य
14. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य
15. श्रीमती इन्दू बंजारे, सदस्य

मांग संख्या– 24

लोक निर्माण कार्य – सड़कें और पुल

मतदेय राशि **रूपये 26,28,44,38,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 19

1. **डॉ. रमन सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   - (1) राजनांदगांव जिले के साल्हेवारा नर्मदा सड़क चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण करने का उल्लेख नहीं है।
   - (2) राजनांदगांव जिले के ग्राम पटेवा में निर्माणाधीन कलडबरी, घुमका पटेवा रोड चौड़ीकरण के मुआवजे के भुगतान का कोई उल्लेख नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   - (1) प्रदेश की जर्जर सड़कों के रख रखाव का उल्लेख नहीं है।
   - (2) शारदा चौक से तात्यापारा तक सड़क चौड़ीकरण का उल्लेख नहीं है।
   - (3) रायपुर–भिलाई मुख्य मार्ग में निर्माणाधीन ओव्हरब्रिज को शीघ्र पूर्ण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   - (1) अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कों के लिये राशि का कोई प्रावधान नहीं है।
   - (2) छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेव्हलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट फेस–III के लिये पर्याप्त राशि हेतु कोई प्रावधान नहीं हैं।
   - (3) राज्यों का मार्ग, सड़क निर्माण कार्य हेतु पर्याप्त राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

4. **श्री पुन्नुलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   - (1) मुंगेली विधानसभा के ग्राम पंडरभठ्ठा से करही पहुंच मार्ग का उल्लेख नहीं है।
   - (2) मुंगेली विधानसभा के ग्राम देवरी से खेड़ा मार्ग का उल्लेख नहीं है।
   - (3) मुंगेली विधानसभा में औराबांधा से जेवरा पहुंच मार्ग का उल्लेख नहीं है।
   - (4) मुंगेली विधानसभा में चीतू से सीतापुर गौशाला पहुंच मार्ग का उल्लेख नहीं है।
   - (5) मुंगेली विधानसभा के ग्राम अमोरा एवं चितावर के मध्य मनियारी नदी पर पुल निर्माण का उल्लेख नहीं किया गया है।
   - (6) मुंगेली विधानसभा के ग्राम गाड़ाधार के पास आगर नदी पर पुल निर्माण का उल्लेख नहीं किया गया है।

5. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) सिमगा क्षेत्र की सड़कों के निर्माण का उल्लेख नहीं किया गया है।

(2) भाटापारा के सिद्धबाबा में ओव्हरब्रिज निर्माण का उल्लेख नहीं किया गया है।

(3) सड़क, पुल, पुलिया निर्माण हेतु पर्याप्त राशि के प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

(4) अधोसंरचना मद में पर्याप्त राशि के प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

6. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) जांजगीर एवं चांपा के बीच स्थित हसदेव नदी पर पुल एवं सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है

(2) जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित जर्जर सड़कों का नवीनीकरण किये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।

(3) चांपा रेल्वे स्टेशन से दर्राभाठा तक के जर्जर सड़क का नवीनीकरण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

(4) बसंतपुर एवं खोखसा के बीच स्थित नाले पर पुल एवं सड़क निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में दर्राभाठा से भोथिया, सलनी, कचंदा तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में बेहराडीह से हरदीडीह तक सड़क निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में गुचकुलिया से करमनडीह तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में नरियरा से मिरौनी (बैराज) तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में मल्दा से नगारीडीह तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में धमनी से नरियरा तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में घोघरी से बरभांठा तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(8) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में बोडसरा से करमनडीह तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(9) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में मलनी से खजुरानी तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(10) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में अकलसरा से भोथिया तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(11) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में सिलादेही से मौहाडीह तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(12) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में पिसौद से भनतेरा लालमाटी तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(13) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में पाड़ाहरदी से सेमराडीह होते हुए कलमीडीह तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

8. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड में तिलई से मुड़पार तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड के अर्जुनी से कोटमीसोनार तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड के करूमहू में राष्ट्रीय राजमार्ग तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

9. डॉ. रेणु जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

कोटा नगर पंचायत में बायपास सडक निर्माण एवं रेल्वे ओव्हरब्रिज, ए.डी.बी. सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

10. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सेमरा व बिलासपुर में पुल निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) रामकृष्ण मिशन आश्रम के सामने वार्ड क्रमांक 68 सिटी बस स्टॉप के बगल से रोड़ निर्माण किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) भाड़ी से रेस्ट हाउस पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं किया गया है।

(4) रामपुर पंचायत भवन से कर्मा स्वास्थ्य केन्द्र तक सड़क निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(5) अमतरा से लखनपुर पहुंच मार्ग निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(6) रामपुर पंचायत भवन से पोड़ी तक सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं किया गया है।

(7) टेकर से अकलतरी पहुंच मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(8) बेलतरा मटियारी रोड से जांजी पहुंच मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(9) बैमा से दिलीप चौहान के घर से नया तालाब तक रोड़ निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।

(10) ग्राम पौसंरा मेन रोड से सेमरताल सूर्यवंशी मोहल्ला तक रोड़ निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(11) नेवसा से अकलतरी रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(12) नेवसा से गढ़वत रोड़ निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

(13) बिरकोना रोड हनुमान मंदिर चौक से रमतला तक रोड़ निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(14) कर्मा से पाण्डेयपुर (मिल्की तक) रोड़ निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(15) गोदइया से रानीगांव पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(16) गोंदइया से कलमीटार तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(17) गहवई मोहल्ला से पीपर चौक एवं बुधवारी चौक से हाईस्कूल तक सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

(18) सलखा से भाठापारा/कडरी तक सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

(19) खूंटाघाट से जाली पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(20) कर्रा मुख्य मार्ग से जलाशय तक रोड़ निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

(21) कर्रा नहर से अमराईपारा अकलतरी पहुंच मार्ग निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

(22) लिम्हा से धौरामुड़ा पटपरी पहुंच मार्ग निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

(23) रैनपुर से कर्रा पहुंच मार्ग निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

(24) सेलर से पीपरा तक रोड़ निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(25) गतौरी मेन रोड़ से भदौरिया खार रमतला तक रोड़ निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

11. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बलौदाबाजार विधानसभा के तिल्दा शहर में बाईपास रोड़ निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(2) बलौदाबाजार विधानसभा के बिलाड़ी रिंगनी पहुंच मार्ग के जीर्णोद्धार का उल्लेख नहीं किया गया है।

(3) बलौदाबाजार विधानसभा के ग्राम चांपा से सतभांवा तक पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं किया गया है।

(4) बलौदाबाजार विधानसभा के ग्राम कोटा से मोहगांव मोंहदी तक पहुंच मार्ग जिर्णोद्धार का उल्लेख नहीं है।

(5) बलौदाबाजार विधानसभा के तिल्दा मुख्यमार्ग से सरोरा सांकरा तक पहुंच मार्ग के जिर्णोद्धार का हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(6) बलौदाबाजार विधानसभा के ग्राम सिलपट्टी (हथबंद) से निनवा तक मार्ग निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(7) बलौदाबाजार विधानसभा के ग्राम खपरीकला से बिलाड़ी तक पहुंच मार्ग निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(8) बलौदाबाजार विधानसभा के ग्राम सिनौधा से बिलाड़ी तक पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(9) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तरपोंगी मुख्य मार्ग से खैरखुंट तक पहुंच मार्ग तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(10) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम किरना मुख्य मार्ग से तरपोंगी तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(11) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खजरीकला से मोंहदी तक पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

(12) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खपरीखुर्द से चांपा तक पहुंच मार्ग बनाने हेतु प्रावधान नहीं है।

(13) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बड़े–बड़े सीमेंट उद्योग हैं, सुरक्षा की दृष्टि से बाईपास सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(14) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के नगर पालिका तिल्दा में हाईस्कूल नेवरा से सत्यनारायण महाविद्यालय तक डिवाइडर युक्त सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(15) बलौदाबाजार विधानसभा अंतर्गत ग्राम ओटगन से कोयता तक पहुंच मार्ग जीर्णोद्धार का उल्लेख नहीं है।

(16) बलौदाबाजार विधानसभा के तिल्दा जोता मुख्य मार्ग के भाटापारा शाखा नहर में उच्च स्तरीय पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(17) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के पर्यटन क्षेत्रों तक पहुंचने हेतु पक्की सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(18) बलौदाबाजार विधानसभा के विकासखंड बलौदाबाजार, सिमगा तिल्दा के मुख्य मार्ग को पक्का बनाने हेतु प्रावधान नहीं है।

12. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) धमतरी विधान सभा के धमतरी शहर के मुख्य मार्ग अम्बेडकर चौक से गंगरेल रोड़ में चौड़ीकरण करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(2) धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खम्हरिया से अंगार मार्ग पर पुलिया निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

(3) धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डाही से डांडेसरा मार्ग पर पुलिया निर्माण किये जाने कोई उल्लेख नहीं है।

(4) धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सेमरा (बी) से दोनर मार्ग पर पुलिया निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

(5) धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत देमार से परेवाडीह रोड के बीच में पुल का पुर्ननिर्माण का उल्लेख नहीं है।

(6) धमतरी नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत सिहावा चौक से नहरनाका चौक तक सड़क चौड़ीकरण एवं स्ट्रीट लाईट निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

(7) धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत रूद्री रोड गोकुलपुर से सोरम भटगांव बोरीद होते हुए पुरूर पहुंच मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने का उल्लेख नहीं है।

(8) धमतरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भोथली से पीपरछेड़ी (गा) तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(9) धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सेमरा (बी) से दोनर मार्ग पर पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(10) धमतरी जिले के अग्रणी महाविद्यालय बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव अंतर्गत रत्नाबांधा तक सड़क चौड़ीकरण हेतु प्रावधान नहीं है।

(11) धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत रूद्री गंगरेल मार्ग से कन्या महाविद्यालय पहुंच मार्ग में पुल पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(12) धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत देमार से उस्लापुर तक पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।

13. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम डोंगाकोहरौद एवं ससहा के अपूर्ण सड़क निर्माण को पूर्ण करने हेतु उल्लेख नहीं है।

(2) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पनगांव से सेंदरी तक पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(3) पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत जोगीडीपा व मुरली के मध्य पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(4) डॉ. भीमराव अम्बेडकर कॉलेज पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(5) पामगढ़ के ग्राम केसला के नाला पर पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 67

लोक निर्माण कार्य – भवन

मतदेय राशि **रूपये 14,94,15,64,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 19

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) विधानसभा एवं वि.ख. बिल्हा, जिला–बिलासपुर के हायर सेकेण्डरी स्कूल चकरभाठा में भवन निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(2) विकासखण्ड बिल्हा एवं पथरिया के जर्जर हाईस्कूल के भवन निर्माण का कोई प्रावधन नहीं है।

(3) विधानसभा एवं वि.ख.–बिल्हा, जिला–बिलासपुर के हायर सेकेण्डरी स्कूल सूरजमल में भवन निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(4) विधानसभा क्षेत्र बिल्हा के भवनों की स्थिति जर्जर हैं संधारण हेतु बजट का कोई प्रावधान नहीं है।

(5) विधानसभा व वि.ख.–बिल्हा, जिला–बिलासपुर के हायर सेकेण्डरी स्कूल पौसरी के भवन निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(6) विधानसभा एवं वि.ख.–बिल्हा, जिला–बिलासपुर के हायर सेकेण्डरी बिटकुली के भवन निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(7) विधानसभा एवं वि.ख.–बिल्हा, जिला–बिलासपुर के हायर सेकेण्डरी स्कूल सारधा के नवीन भवन निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(8) विधानसभा एवं वि.ख.–पथरिया, जिला–मुंगेली के हायर सेकेण्डरी स्कूल सकेत के भवन निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(9) विधानसभा बिल्हा, वि.ख.–पथरिया, जिला–मुंगेली से हाई स्कूल मुण्डा देवरी के भवन निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं हैं।

(10) वि.स.–बिल्हा, वि.ख.–पथरिया, जिला–मुंगेली के हायर सेकेण्डरी स्कूल चुनचुनिया के भवन निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(11) वि.ख.–बिल्हा, वि.ख.–पथरिया, जिला–मुंगेली के कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल सरगांव के भवन निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(12) बिल्हा विधानसभा के बिल्हा वि.ख. के हायर सेकेण्डरी स्कूल लिमतरी के नवीन भवन निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(13) विधानसभा–बिल्हा, वि.ख.–पथरिया, जिला–मुंगेली के हाई स्कूल जोता के भवन निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(14) सड़क निर्माण से बेघर हो रहे लोगों को घर बनाकर देने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(15) विधानसभा एवं विकासखण्ड–बिल्हा, जिला–बिलासपुर के हायर सेकेण्डरी परसदा, वार्ड–09 यातायात नगर, न.नि. बिलासपुर के नवीन भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(16) विधानसभा बिल्हा, वि.ख. पथरिया, जिला–मुंगेली के हाई स्कूल खुटेरा के भवन निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

2. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) लोक सेवा आयोग में कार्यालयीन भवन के लिये अपर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(2) लोक कार्यालयों की इमारतों का निर्माण हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

(3) जेल भवनों का निर्माण के लिए राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(4) वृहद निर्माण, कार्य हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(5) राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(6) महाविद्यानयीन भवनों का निर्माण के लिए पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(7) जिला उपभोक्ता फोरम भवनों का निर्माण हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(8) स्कूल भवनों के निर्माण हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(10) व्हीकल ट्रेनिंग प्लेटफार्म निर्माण हेतु पर्याप्त राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

(11) शासकीय भवनों की निर्माण हेतु पर्याप्त राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में शासकीय कर्मचारी के क्रमशः जी–टाईप, एस एवं आई–टाईप शासकीय आवासों का समुचित मेंटेनेंस नहीं किये जाने का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश के अधिकारियों/कर्मचारियों को शासकीय आवास आबंटित किये जाने हेतु बनी शांति नगर कॉलोनी को तोड़ दिया जाने के बाद किसी नई शासकीय आवासीय योजना का बजट में उल्लेख नहीं है।

4. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) सिमगा में विशाल नगर भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश के विकासखंड मुख्यालय में शासकीय कर्मचारियों हेतु आवास की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) भाटापारा मोपका नवीन महाविद्यालय भवन का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) करही बाजार चौकी में पुलिस आवास का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) लोक निर्माण विभाग में एक भी वृहद योजना विदेशों से सहायता प्राप्त संचालित होने का कोई उल्लेख नहीं है।

5. **श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) जांजगीर–चांपा विधानसभा क्षेत्र स्थित जर्जर स्कूल भवनों के मरम्मत कार्य हेतु राशि उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

(2) अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिये राशि का उल्लेख नहीं है।

6. **श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा वि.ख. के ग्राम–गतवा के हाईस्कूल भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा वि.ख. के ग्राम–डोंगरी के हाईस्कूल भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा वि.ख. के ग्राम–नवगंवा के हाईस्कूल भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा वि.ख. के ग्राम–कुरमा के हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा वि.ख. के ग्राम–जावलपुर के हाईस्कूल भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

7. **श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

लोरमी नगर, जिला मुंगेली में कार्यरत शासकीय उच्चतर माध्यमिक (हायर सेकेण्ड्री) स्कूल भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

8. **श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

बेलतरा विधानसभा अंतर्गत बैगा नगोई में बनने वाले नये जेल भवन के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

9. **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश शासकीय कर्मचारी किराये के घरों में रह रहे हैं। उनके लिये शासकीय आवास बनाने हेतु कोई कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) लोक निर्माण विभाग में वर्षों से एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों/कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

10. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत तनौद के उपस्वास्थ्य केन्द्र का नया भवन निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जर्जर स्कूल भवन के बदले नया स्कूल भवन निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम–पंचायत मुड़पार (चू) शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन का निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

11. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) विधानसभा क्षेत्र जैजेपुर में बम्हनीडीह विश्राम गृह में 1 अतिरिक्त कक्ष निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) विधानसभा क्षेत्र जैजेपुर में जैजेपुर विश्राम गृह में एक अतिरिक्त कक्ष निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) विधानसभा क्षेत्र जैजेपुर में शासकीय हाई स्कूल कपिस्दा के भवन निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) विधानसभा क्षेत्र जैजेपुर में शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल ओडेकेरा के भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) विधानसभा क्षेत्र जैजेपुर में शासकीय सेकेण्डरी स्कूल कांशीगढ़ के भवन निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 76

लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

मतदेय राशि रूपये 9,40,15,03,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 19

कोई भी कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

मांग संख्या– 3

पुलिस

मतदेय राशि **रूपये 52,04,02,32,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 2

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्षः एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) गंभीर आरोपियों को पकड़ने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

    (2) पुलिस कल्याण योजना हेतु राशि का प्रावधान नहीं है।

2. **श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) पुलिस हेतु शोध शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु अत्यधिक राशि प्रदान की गई है।

    (2) प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला सेल बनाने का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) प्रत्येक थाने में महिला सेल का उल्लेख नहीं है।

    (2) नक्सल समस्या को लेकर उचित नीतियों का उल्लेख नहीं है।

    (3) प्रदेश को गृह विभाग की सायबर क्राईम शाखा को नियमानुसार पदोन्नति समयमान वेतनमान दिने जाने का उल्लेख नहीं है।

    (4) प्रत्येक थानों में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं पानी, बैठने आदि की सुविधाओं को बढ़ाये जाने का उल्लेख नहीं है।

    (5) प्रदेश के प्रत्येक जिलों, तहसीलों में एक–एक सायबर क्राईम ब्रांच की स्थापना कर साईबर थाना खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

    (6) पुलिस कर्मचारियों के साप्ताहिक अवकाश की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

    (7) पुलिस कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन में वृद्धि की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

    (8) प्रदेश के प्रमुख पुलिस मैदानों को सुव्यवस्थित रखने एवं खिलाड़ियों हेतु आवश्यक सुविधाओं को बढ़ाये जाने का उल्लेख नहीं है।

    (9) सायबर क्राईम शाखा में कर्मचारियों को शीघ्रातिशीघ्र न्याय दिलाये जाने का उल्लेख नहीं है।

    (10) महिलाओं के लिये अलग थाना की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।

    (11) प्रदेश की महिलाओं की सुविधा हेतु प्रत्येक तहसील, विकासखण्डों में महिला थाना की स्थापना किये जाने का उल्लेख नहीं है।

    (12) प्रदेश को ड्रग्स माफियाओं से मुक्ति दिलाने की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

    (13) सायबर अपराध को लेकर कोई प्रभावी योजना का उल्लेख नहीं है।

    (14) महिला उत्पीड़न रोकने प्रभावी योजना का उल्लेख नहीं है।

(15) प्रदेश में सूखा नशा रोकने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(16) गांजा तस्करी को रोकने की योजना का उल्लेख नहीं है।

(17) नगर सैनिकों के वेतनवृद्धि का उल्लेख नहीं है।

(18) सिपाही, कॉस्टेबल, ए.एस.आई. एस.आई. को नियमित समय पर वेतनवृद्धि एवं पदोन्नति प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(19) मानव तस्करी रोकने का उल्लेख नहीं है।

(20) प्रदेश में बढ़ते अपराधों को रोकने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(21) प्रदेश के प्रमुख पुलिस ग्राउंड में प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को होने वाले कार्य में टेंट, कुर्सी एवं अन्य कार्यों में लाखों रूपयों का भुगतान किया जाता है, स्थायी शेड निर्माण करने तथा कुर्सियां क्रय कर अवव्यय को नियंत्रित करने का उल्लेख नहीं है।

(22) प्रदेश की सायबर क्राईम शाखा में पदस्थ पुलिस के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को नियमानुसार प्रमोशन, समयमान—वेतनमान का निर्धारण करने का उल्लेख नहीं है।

(23) प्रदेश में हो रही सायबर फ्राड की रोकथाम के लिये सायबर क्राईम थाने शीघ्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

(24) प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चियों के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न, प्रताड़ना के कारण आत्महत्या में हो रही वृद्धि को रोकने हेतु स्पेशल महिला थाना सेल खोलने का उल्लेख नहीं है।

(25) प्रदेश की राजधानी रायपुर में नशे के बढ़ते कारोबार—हुक्काबार, गांजा, कोकीन, नशे की गोलियां, इंजेक्शन पर प्रतिबंध करने का उल्लेख नहीं है।

(26) प्रदेश में शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को गृह विभाग एवं संपदा शाखा के द्वारा आवास आवंटन में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसे रोकने का उल्लेख नहीं है।

(27) राजधानी रायपुर में पुलिस विभाग द्वारा संचालित शासकीय पुलिस स्कूल में प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती किये जाने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) नक्सल इलाकों में फर्जी मुठभेड़ समाप्त करने के उपायों का उल्लेख नहीं है।

(2) पुलिस कर्मचारियों के यात्रा भत्ता और वर्दी भत्ता प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश के सभी जिलों में फायर स्टेशन की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।

(4) प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों पर नीति एवं उपायों का अभाव है।

(5) अन्य राज्यों से बंधकों/अपहृतों को लाने के उपायों का उल्लेख नहीं है।

(6) सभी थानों/चौकी में पुलिस वाहनों हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(7) पुलिस विभाग में लम्बे समय से लंबित पदोन्नति शीघ्र देने का उल्लेख नहीं है।

(8) पुलिस आरक्षकों का वेतन ग्रेड पे 2800 करने का उल्लेख नहीं है।

(9) पुलिस परिवार के बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु अनुदान का उल्लेख नहीं है।

(10) पुलिस बल हेतु आवास की सुविधा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(11) प्रदेश में महिला सेल का गठन करने का उल्लेख नहीं है।

(12) पुलिस आधुनिकीकरण हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।

5. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य एक रूपये की कमी की जावे.

पुलिस विभाग को पर्याप्त राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य एक रूपये की कमी की जावे.

(1) चिटफंड कम्पनी द्वारा ठगी के शिकार लोगों की राशि वापस दिलाने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) पुलिस आवास तथा पुलिस जवानों को आधुनिक साज–सज्जा, बुलेट प्रूफ जैकेट प्रदान करने उल्लेख नहीं है।

(3) बेलतरा में नवीन पुलिस थाना खोलने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) सभी कर्मचारियों हेतु पुलिस कल्याण कोष को शासकीय अनुदान का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) सभी पुलिसकर्मियों के लिये आवास की व्यवस्था करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) पुलिस कर्मचारी को अतिरिक्त भत्ता हेतु राशि प्रावधानित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) नवीन पुलिस भर्ती के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

(5) यात्रा भत्ता बढ़ाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

(6) सभी जिलों में पुलिस आवास गृह पर्याप्त क्षमता में निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) पुलिस थानों के डिजिटलाईजेशन हेतु कोई राशि का उल्लेख नहीं है।

(8) प्रत्येक थानों में महिला सेल खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

8. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य एक रूपये की कमी की जावे.

(1) धमतरी विधान सभा क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत रांवा में पुलिस चौकी खोलने कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश की राजधानी रायपुर में सट्टे के अवैध कारोबार को रोकने का उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को शासकीय नौकरी लगाने का झांसा देकर लाखों रूपयों की ठगी करने वालों पर कठोर कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं है।

(4) सड़कों पर रात्रि पेट्रोलिंग/गश्त सुनिश्चित किये जाने की योजना का उल्लेख नहीं है।

(5) धमतरी जिले में सैनिक स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।

(6) धमतरी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत घनी आबादी वाले क्षेत्र छाती में पुलिस चौकी खोलने का उल्लेख नहीं है।

(7) प्रदेश में हो रहे सायबर फ्रॉड की रोकथाम के लिये सायबर क्राईम थाने खोलने का उल्लेख नहीं है।

(8) प्रदेश में होमगार्डों को आरक्षकों के समान वेतनमान प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

9. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य एक रूपये की कमी की जावे.

(1) फॉलोपायलट वाहनों को किराये पर चलाकर भुगतान में हो रही अनियमितता को रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश में हो रही मानव तस्करी की घटनाओं को रोकने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 4

गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय

मतदेय राशि **रूपये 1,10,49,82,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 2

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) प्रदेश से गायब युवतियों को ढूंढने हेतु कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
   (2) नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत पुलिस/सुरक्षा कर्मियों को बीमा कव्हर का कोई उल्लेख नहीं है।
   (3) दूसरे राज्यों में प्रदेश के बंधक मजदूरों को वापस लाकर रोजगार प्रदान किये जाने हेतु किसी योजना का उल्लेख नहीं है।
   (4) चिटफंड कम्पनियों के शिकार लोगों को राशि लौटाने के प्रावधानों का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य एक रूपये की कमी की जावे.**
   नागरिक सुरक्षा हेतु पर्याप्त राशि का अभाव है।

3. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   प्रदेश के थानों का कम्प्यूटरीकृत कर पेंडिंग प्रकरणों को शीघ्र निपटाने हेतु किसी कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

4. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) नवीन पुलिस चौकी/थानों हेतु पर्याप्त राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
   (2) नक्सली समस्या के उन्मूलन हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

5. **श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   जांजगीर–चांपा विधानसभा क्षेत्र में पुलिस आवास गृह निर्माण का उल्लेख नहीं है।

6. **श्री सौरभ सिंह, सदस्य एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा विकासखण्ड के बलौदा थाना का अहाता निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
   (2) जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखण्ड के अकलतरा थाना का अहाता निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
   (3) जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा विकासखण्ड के पंतोरा चौकी का अहाता निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 5

जेल

मतदेय राशि **रूपये 1,95,85,85,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 3

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) कैदियों को जेलों की क्षमता से अधिक रखा गया है, प्रदेश की जेलों में नये सेल निर्माण करने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश की उपजेलों की संख्या में वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश की जेलों को सुदृढ़ करने हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश की जेलों के रख–रखाव हेतु पर्याप्त राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) जेल प्रहरियों के रिक्त पदों पर भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।

(2) जेल अधीक्षक, उपजेल अधीक्षक हेतु नवीन आवास हेतु राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(3) कैदियों को स्वरोजगार / कौशल उन्नयन उपायों का उल्लेख नहीं है।

(4) कैदियों को बड़ी बीमारियों के उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

(5) जेलों में सेटअप अनुसार भर्ती करने तथा पदोन्नति प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(6) जेलों में उत्पादित सामाग्री हेतु कच्चे माल क्रय करने हेतु राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(7) सिमगा में उपजेल की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।

(8) जेलों में कम्प्यूटरीकरण तथा आधुनिकीकरण हेतु राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(9) प्रदेश में 25 से 30 वर्ष पुरानी जेलों हेतु नवीन जेले निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

4. **श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश की जेलों हेतु पर्याप्त राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

5. **श्री सौरभ सिंह, सदस्य एक रूपये की कमी की जावे.**

जांजगीर–चांपा जेल की क्षमता में वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 51

धार्मिक न्यास और धर्मस्व

मतदेय राशि रूपये 19,73,50,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 6

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

   (2) ग्राम धौराभाठा विकासखण्ड बिल्हा, जिला–बिलासपुर स्थित बुलकेश्वर मंदिर में मंगलभवन निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (3) ग्राम मंगला, विकासखण्ड बिल्हा, जिला–बिलासपुर स्थित चतुर्भुज मंदिर में रंगमंच एवं मंगलभवन निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (4) प्रदेश के मंदिरों के पुजारियों को मानदेय प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (5) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र के पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार करने का कोई उल्लेख नहीं है।

2. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   संचालनालय धर्मस्व तथा अधीनस्थ कार्यालय हेतु पर्याप्त राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   भाटापारा मावलीमाता मंदिर को प्रादेशिक धार्मिक स्थल में शामिल करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 37

पर्यटन

मतदेय राशि — रूपये 1,16,05,40,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 30

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) मदकूदीप पर्यटन के विकास व विस्तार हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
   (2) ताला पर्यटन केन्द्र के विकास हेतु कोई योजना प्रावधान नहीं है।

2. **श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   प्रदेश के पर्यटन स्थलों का जीर्णोंद्धार हेतु राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) पर्यटन विकास की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
   (2) पर्यटन स्थलों को सुगम बनाने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
   (3) जिला स्तर पर पर्यटन कोष की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।

4. **श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) मुंगेली विधान सभा के ग्राम आमोरा एवं चितावर में पर्यटन विकास का उल्लेख नहीं है।
   (2) मुंगेली विधान सभा के ग्राम अमरटाफ में पर्यटन विकास का उल्लेख नहीं है।
   (3) मुंगेली विधान सभा के ग्राम सेतगंगा में पर्यटन विकास का उल्लेख नहीं है।

5. **श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   खारंग जलाशय को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के प्रावधानों का उल्लेख नहीं है।

6. **श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) जांजगीर–चांपा जिले में क्रोक्रोडायल पार्क को पर्यटन स्थल बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।
   (2) जांजगीर–चांपा जिले में इंदिरा उद्यान में स्नेक पार्क बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।

7. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) धमतरी में विराजमान कद्रेश्वर महादेव घाट रूद्री को पर्यटन स्थल का दर्जा प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) धमतरी में विराजमान डोंगेश्वर धाम देवपुर को पर्यटन स्थल का दर्जा प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

8. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ग्राम–खुड़िया, विकासखण्ड–लोरमी, जिला–मुंगेली को पर्यटन स्थल की सुविधा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बलौदाबाजार विधान सभा के पर्यटन क्षेत्रों के समुचित विकास की योजना का उल्लेख नहीं है।

(2) बलौदाबाजार विधान सभा के सोमनाथ लखना को पर्यटन स्थल का दर्जा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 22

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय निकाय

मतदेय राशि रूपये– 13,67,75,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –18

1. श्री धरमलाल कौशिक , नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बिलासपुर नगर निगम में नया एरिया शामिल किया गया है, उसके अधोसंरचना एवं 14 वें वित्त आयोग की राशि जारी करने का उल्लेख नहीं है।

(2) बिलासपुर नगर निगम वार्ड क्रमांक 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10 में सफाई व सी. सी. रोड निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

2. डॉ. रमन सिंह , सदस्य, विधान सभा : एक रूपये की कमी की जावे.

राजनांदगांव जिले के बूढ़ा सागर के सौंदर्यीकरण कार्य को पूर्ण करने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री बृजमोहन अग्रवाल , सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) राजधानी रायपुर के विकास की किसी योजना का उल्लेख नहीं है।

(2) रायपुर नगर निगम में रिटायर्ड कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद भी वेतन का भुगतान किया जाता रहा है, इस प्रकार होने वाली चार सौ बीसी की घटनाओं में रोक लगाने हेतु किसी ठोस योजना का उल्लेख नहीं है।

(3) राजधानी रायपुर के प्रमुख तालाबों को जीर्णोद्धार कर नवजीवन दिये जाने जिससे रायपुर शहर में जलस्तर ऊपर आ जाये इस हेतु किसी योजना का उल्लेख नहीं है।

(4) रायपुर में गंदी बस्तियों के विकास की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

(5) स्मार्ट सिटी में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने का उल्लेख नहीं है।

(6) रायपुर में एस. टी. पी. निर्माण समयबद्ध हो इसका उल्लेख नहीं है।

4. श्री पुन्नुलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मुंगेली विधान सभा में स्वीकृत 5 मार्गों में सिटी बस प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) भाटापारा में नवीन नगर भवन निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

(2) संपत्ति कर में 50 प्रतिशत की कमी किया जाने का उल्लेख नहीं है।

(3) नगरीय निकायों में आवश्यकता अनुरूप बजट प्रावधान नहीं किया गया है।

(4) सिमगा नगर में एक भी विकास कार्य हेतु प्रावधान नहीं किया गया है।

(5) भाटापारा शहर की सड़कों का निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

(6) भाटापारा के सड़कों का डामरीकरण कराने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्राम गोडखम्ही, विकास खण्ड लोरमी, जिला मुंगेली को नगर पंचायत बनाने का उल्लेख नहीं है।

(2) नगर पंचायत लोरमी जिला मुंगेली को नगरपालिका का दर्जा देने हेतु वित्तीय प्रावधान किये जाने का उल्लेख नहीं है।

7. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

रतनपुर नगर पंचायत बायपास मार्ग निर्माण, मुक्तिधाम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

8. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) धमतरी विधान सभा क्षेत्रांतर्गत नगर पंचायत आमदी में व्यवसायिक परिसर बनाने का उल्लेख नहीं है।

(2) धमतरी विकास खण्ड के नगर पंचायत आमदी के तालाबों का सौंदर्यीकरण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

(3) धमतरी विधान सभा क्षेत्रांतर्गत धमतरी शहर में हाईटेक बसस्टैंड खोलने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बिलासपुर नगर निगम के अधोसंरचना विकास हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।

(2) सी. सी. रोड निर्माण अंजली विहार चाटीडीह के वार्ड कमांक 56 में कार्य कराये जाने का उल्लेख नहीं है।

(3) पचरी निर्माण कार्य अरपा पदी विसर्जन घाट चांटीडीह रपटा चौक वार्ड कमांक 56 में निर्माण कार्य का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के स्मार्ट सिटी क्षेत्र को बढ़ाये जाने का उल्लेख नहीं है।

10. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बलौदाबाजार विधान सभा नगर पालिका तिल्दा के मुख्य मार्ग में डिवायडर निर्माण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

11. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

रायपुर नगर निगम द्वारा पानी की सप्लाई सुनिश्चित नहीं किये जाने के कारण लगातार प्रतिवर्ष टेंकरों से पानी की सप्लाई की जाकर हो रहे घोटालों को रोकने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 69

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय कल्याण

मतदेय राशि रूपये– 8,95,12,32,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –18

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) बिलासपुर जिले के शहरी क्षेत्रों में बस स्टॉपेज बढ़ाये जाने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
   (2) भोजपुरी हैचरी सेन्टर का विस्तार व सुदृढ़ किये जाने का प्रावधान नहीं है।
   (3) बिल्हा वार्ड 07 शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर चौक एवं मूर्ति स्थापना किये जाने का बजट में प्रावधान नहीं है।
   (4) नगर पंचायत पथरिया जिला मुंगेली में रानी दुर्गावती चौक एवं मूर्ति स्थापना का बजट में प्रावधान नहीं किया गया है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल , सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) शहरी क्षेत्र के आवासहीन परिवारों को 2 कमरे के मकान देने का उल्लेख नहीं है।
   (2) प्रदेश के प्रमुख व्यवसायिक स्थलों, बस अड्डों, प्रमुख मार्गों में पुरूषों एवं महिलाओं हेतु निःशुल्क शौचालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है।
   (3) शहरों में नए तालाबों व पार्कों के निर्माण का उल्लेख नहीं है।
   (4) बिलासपुर विकास प्राधिकरण की व्यापार विहार योजना में 20 वर्षों पूर्व आबंटित प्लॉट धारकों से टैक्स वसूली किये जाने के बाद भी आज दिनांक तक वहॉ विकास कार्य नहीं किये जाने के कारण प्लॉट धारक अपने आपको ठगा महसूस कर रहे हैं, रोड़, बिजली, पानी की व्यवस्था किये जाने का बजट में उल्लेख नहीं है।

3. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) भाटापारा के चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
   (2) नगरीय क्षेत्रों में निवासरत गरीब परिवारों को दो कमरों का पक्का मकान देने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 81

नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि **रूपये– 23,40,43,88,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –18

1. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   संपत्ति कर आधा करने का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) शहरी विकास पर पूँजी परिव्यय की राशि पर्याप्त नहीं है।

   (2) झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में पेयजल तथा शैचालयों इत्यादि की व्यवस्था हेतु स्थानीय निकायों की अनुदान राशि बहुत ही कम है।

   (3) शहरीय विकास के लिये राशि अपर्याप्त है।

   (4) नगरीय निकायों को मूलभूत सेवाओं के लिये अनुदान राशि पर्याप्त नहीं है।

   (5) शहरी विकास के लिए राशि पर्याप्त नहीं है।

3. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम अच्छे से संचालित नहीं हो रहा है।

   (2) भाटापारा नगर में विकास हेतु राशि का प्रावधान नहीं है।

4. **श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   नगर पंचायत लोरमी, जिला मुंगेली में गनियारी नदी में गिरने वाली नाली के पानी की निकासी एवं ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना एवं निर्माण का प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या– 18

श्रम

मतदेय राशि **रूपये– 2,15,75,45,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –16

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा : एक रूपये की कमी की जावे.**

   श्रम विभाग के द्वारा सभी श्रमिक योजनाएं बंद होने से श्रमिकों को लाभ नहीं मिल रहा है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) असंगठित मजदूरों के कल्याण की योजना नहीं है।

   (2) श्रम विभाग की योजनाओं को लेकर विशेष प्रावधान नहीं है।

3. **श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   श्रम और रोजगार के लिये दी गई राशि अपर्याप्त है।

4. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) बाल श्रमिकों के कल्याण की योजना का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है।

   (2) श्रमिकों तक शासन की योजनाओं को पहुंचा पाने का उल्लेख नहीं है।

   (3) भाटापारा क्षेत्र में बाल श्रमिक विद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

   (4) श्रमिकों के विकास हेतु विस्तृत कार्यायोजना का आभाव है।

   (5) श्रम विभाग में पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था का आभाव है।

   (6) प्रदेश के मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने में सरकार असमर्थ है।

   (7) पलायन करने वाले मजदूरों को प्रदेश में रोकने का उल्लेख नहीं है।

   (8) छत्तीसगढ़ के श्रम कानूनों को सख्ती से पालन कराने हेतु उल्लेख नहीं है।

5. **श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   छत्तीसगढ़ प्रदेश में पलायन को रोकने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

6. **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   कोरोना काल में बंद रहे ऑटो, छोटे वाहन चालकों, रिक्शा चालकों को उनका जीवन यापन सुचारू रूप से शुरू करने व राहत प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।